...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
33/19	188 RTA	कोलोद	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
राधेश्याम	बनाम	रामचरण

वकील :- डी सी कुशवाह **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12/3/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब कर पत्रावली दिनांक 25/3/019 को पेश हो।	
25/3/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 15/4/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
15.4.19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21.5.19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
21/5/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 26/6/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
	पत्रावली पेश हुई। बहुलाए फरीकेन उक्त जवाब पेश नहीं हुआ वकील प्रति वादी समय चाहते हैं पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं न्यायहित में 200/- cost पर एक अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा जवाब बन्द कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21.10.24 को पेश हो।	
21.10.24	पत्रावली पेश हुई बहुलाए फरीकेन उप.। जवाब प्रतिवादी पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं जवाब प्रति वादी बन्द ~~की जाती~~ किया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29.10.24 को पेश हो।	
29.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं है। न्यायालय के कक्ष पर तीन बार आवाज लगवाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	